माननीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में 24 जून, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की पांचवीं बैठक की कार्यवृत्त

प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक में है ।

2. केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की पांचवीं बैठक राष्ट्रीय गान के साथ शुरू हुई, जिसके बाद गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित किया गया।

3. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) की सचिव सुश्री अंजलि भावड़ा ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माननीय मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों, माननीय संसद सदस्यों, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधियों और गैर-सरकारी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक पूर्व में चार बार हो चुकी है और पिछली बैठक नवंबर, 2020 में हुई थी। केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड ने पिछले बैठक में विभिन्न मुद्दों जैसे समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक हस्तक्षेप, सुगम्यता, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास, दिव्यांगों की सुरक्षा के लिए कोविड 19 के दौरान किए गए प्रयासों आदि पर विचार-विमर्श किया था। उन्होंने केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड द्वारा चर्चा किए जाने वाले प्रस्तावित मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा की। उन्होंने बताया कि विभाग विजन @2047 विकसित करने की प्रक्रिया में है। इसी प्रकार, विभाग ने दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर पहले ही टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं जिसे केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की सूचना और विचार-विमर्श के लिए रखा गया है। उन्होंने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 17.05.2022 को जारी किए गए परिपत्र के बारे में भी केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया गया है।

4. बोर्ड की उपाध्यक्षा, माननीया सामजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने पिछले आठ वर्षों के दौरान दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश भर में 12,000 से अधिक वितरण शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें विभाग के ऐडीप कार्यक्रम के तहत 22.5 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया कि वह विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र परियोजना के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड हो, जो सरकारी लाभ का

लाभ उठाने के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूआईडी कार्ड जारी करना एवं यह सुनिश्चित करना, दिव्यांगजनों को शामिल करने और सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। उन्होंने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना की नियमित निगरानी करने की सलाह दी। उन्होंने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे छात्रवृत्ति, कौशल विकास आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने का भी आग्रह किया। उन्होने सदस्यो से कार्यसूची मदों पर अपने बहुमूल्य सुझाव देने का अनुरोध किया ताकि केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ठोस सिफारिशें पेश कर सके।

5. डॉ वीरेंद्र कुमार, माननीय मंत्री, सामजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और अध्यक्ष, केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगजनों की व्यापक पहुंच, समावेश और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना एक चुनौती है। इसे केवल राज्यों, सिविल सोसायटी और दिव्यांगजनों के संगठनों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर सरकार द्वारा समन्वित प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के विजन यानी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास' की ओर बोर्ड का ध्यान आकृष्ट कराया। दिव्यांगजन समावेश और सशक्तिकरण के हर पहलू में भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि सुगम बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन सभी सार्वजनिक भवनों, परिवहन प्रणालियों और आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणालियों में पहुंच प्रदान करने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। उन्होंने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी कि वे 14.06.2022 को गत पांच वर्षों की अवधि के भीतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 के प्रावधानों पर गौर करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि वह बोर्ड को दिव्यांगजन की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा उठाए गए या उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएं और कोविड 19 के दौरान दिव्यांगजनों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके द्वारा किए गए विशेष प्रयासों के बारे में बताएं। उन्होंने ग्वालियर में स्थापित किए जा रहे दिव्यांगजनों के खेलों के लिए केंद्र और सीहोर, मध्य प्रदेश में स्थापित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के बारे में भी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके इस वर्ष पूरा होने की संभावना है। उन्होंने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया कि वह दिव्यांगजनों को शामिल करने और उन्नत करने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करें ताकि अन्य राज्य इसी तरह के मॉडल को सीख सकें और विकसित कर सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि दिव्यांगजनों के लिए एक एकल खिड़की सुविधा विकसित करना उचित होगा ताकि वे बिना किसी कठिनाई के सभी लाभों और सेवाओं का लाभ उठा सकें।

6. विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर संयुक्त सचिव श्री राजेश यादव, संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा और डीडीजी श्री किशोर बाबूराव सुरवाड़े द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया। मौजूदा स्कीमों और कार्यक्रमों नामित एडिप, छात्रवृत्ति, कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, डीडीआरएस और डीडीआरसी में संशोधनों को प्रस्तुति में उजागर किया गया ।

7. तत्पश्चात्, सभापीठ की अनुमति से कार्यसूची मदों पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें निम्नलिखित मद शामिल थे-

i. (क) 26.11.2020 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
   (ख) सीएबी के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट;
ii. नियम बनाने की स्थिति, राज्य सलाहकार बोर्डों का गठन आदि;
iii. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 45 (1) के अनुसार सार्वजनिक भवनों की पहुंच सहित सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन की स्थिति;
iv. यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति;
v. मॉडल DDRC सहित DDRS और DDRC से संबंधित मामले;
vi. दिव्यांगजन के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना;
vii. विजन @2047 और दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा;
viii. दिव्यांगजन पेंशन में वृद्धि से संबंधित मामले;
ix. सीबीआईडी पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित 'दिव्यांग मित्रों' की नियुक्ति के अवसर; और
x. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मामला (पुनर्वास गृहों के संबंध में डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 412 से उत्पन्न 2018 की अवमानना याचिका संख्या 1653 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 01.09.2021 के आदेश के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दा - श्री गौरव कुमार बंसल बनाम श्री दिनेश कुमार और अन्य पुनर्वास गृहों के संबंध में)

8. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की कार्यसूचीवार सिफारिशें निम्नानुसार हैं -

एजेंडा आइटम नंबर 1 (क) - 26.11.2020 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

26.11.2020 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त को पुष्ट किया गया ।

एजेंडा आइटम नंबर 1 (ख) - 26.11.2020 को आयोजित बैठक में सीएबी के निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

i. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने नोट किया कि फिजियोथेरेपिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय अधिनियम, 2021 के तहत कवर किए गए हैं।

ii. बोर्ड ने नोट किया कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने यूडीआईडी परियोजना को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को एक अलग एजेंडा आइटम के रूप में भी शामिल किया गया है।

iii. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने नोट किया कि विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वतंत्र आयुक्त हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी जा रही दिव्यांगता पेंशन के अतिरिक्त दिव्यांगता पेंशन में टॉप-अप कर रहे हैं ।

iv. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने कहा कि लक्ष्यद्वीप और लद्दाख को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान लगभग 5.22 लाख दिव्यांग लाभार्थियों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए 3189 एडीआईपी शिविर आयोजित किए गए थे।

v. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में बेंचमार्क दिव्यांगजन लिए उपयुक्त पदों की पहचान के संबंध में डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा 04.01.2018 को जारी अधिसूचना के बारे में सूचित किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया गया कि वे इस अधिसूचना का अनुसरण करने के लिए इसी तरह की कार्रवाई करें।

vi. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को सूचित किया गया था कि दिव्यांगजन के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निजी नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अलग से योजना को बंद कर दिया गया है। तथापि, कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन का घटक है।

vii. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने कहा कि एनसीईआरटी दिव्यांग छात्रों तक आसानी से पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए दीक्षा को अद्यतन करने पर लगातार काम कर रहा है।

viii. बोर्ड ने यह भी नोट किया कि मनरेगा के तहत, दिव्यांगजन को कमजोर लोगों की विशेष श्रेणी के रूप में शामिल किया जाता है।

ix. दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पोस्टिंग और स्थानांतरण नीति से संबंधित मामले का आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 20 (5) के

प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए डीओपीटी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है।

x. डीईपीडब्ल्यूडी अधिक सहायता आवश्यकताओं के लिए मूल्यांकन दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति के गठन पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मामले पर विचार करना चाहिए ।

एजेंडा मद संख्या 2 - नियम बनाने की स्थिति, राज्य सलाहकार बोर्डों का गठन आदि

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने नोट किया है कि :-

i. 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने विशेष न्यायालयों को नामित किया है;

ii. 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अलग विभाग हैं ।

iii. वर्तमान में 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र आयुक्त हैं ।

iv. आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव तथा लद्दाख को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आरपीडब्ल्यूडी नियमों को अधिसूचित किया है और राज्य सलाहकार बोर्डों का गठन किया है।

v. 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ने जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है।

vi. 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने मूल्यांकन बोर्डों का गठन किया है ।

बोर्ड ने सिफारिश की है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अपने राज्य विशेष नियमों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित करें, राज्य सलाहकार बोर्डों, जिला स्तरीय समितियों का गठन करें, प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों को नामित करें, और दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति करें, यदि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

एजेंडा आइटम नंबर 3 - RPwD अधिनियम, 2016 की धारा 45 (1) के अनुसार सार्वजनिक भवनों की पहुंच सहित सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन की स्थिति

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने नोट किया कि विभाग ने दिसंबर, 2021 में आरपीडब्ल्यूडी नियमों के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों और स्पेस मानकों को शामिल करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसमें जनता से टिप्पणियां मांगी गई हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य क्षेत्रों के संबंध में सुगम्यता मानकों की अधिसूचना आरपीडब्ल्यूडी नियमों के तहत शामिल किए जाने के लिए अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में है।

बोर्ड ने सिफारिश की है कि:

(i) डीईपीडब्ल्यूडी आरपीडब्ल्यूडी के नियमों के तहत अपने सुगम्यता मानक प्रस्तुत करते समय अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए एसओपी जारी कर सकता है।

(ii) एआईसी (AIC) के अंतर्गत कार्य पूरा करने के संबंध में, यूसी प्रस्तुत करने और एआईसी के तहत कार्य को पूरा करने के लिए निधियों की दूसरी किस्त प्राप्त करने की समय-सीमा को दिसंबर, 2022 तक बढ़ाया जा सकता है और भवनों में कार्य पूरा करने की समय-सीमा को मार्च, 2024 तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) इसके अतिरिक्त, सभी सार्वजनिक भवनों को सुगम्य बनाने के लिए तथा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के धारा 45 (1) के तहत प्रस्तावित समय-सीमा के विस्तार के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई पिछली सभी निधियों के विरुद्ध यूसी (UC) एवं कार्य प्रगति की जानकारी के साथ समग्र रिपोर्टें एवं

कार्य योजना, 31 जुलाई, 2022 तक विभाग के विचारार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया । ऐसा करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य प्राथमिकता वाले सार्वजनिक उपयोगिता भवनों को प्राथमिकता दी जाये ।

(iv) वेबसाइटों की पहुंच के लिए, राज्य सरकार वेबसाइट उन्नयन के लिए आवश्यक अनुमोदन जारी करने को प्राथमिकता देगी ताकि समयबद्ध तरीके से लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपनी वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकती हैं।

(v) चूंकि एनआईसी संपादित वेबसाइटों की मेजबानी नहीं करता है, इसलिए एमआईआईटीवाई को संपादित वेबसाइटों की मेजबानी से संबंधित मुद्दों के संबंध में एनआईसी के साथ जांच करने की आवश्यकता है।

(vii) सरकारी प्रतिष्ठानों को अपनी वेबसाइटों का उन्नयन करते समय दिव्यांगजनों को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि सुगम्यता सुनिश्चित की जा सके।

(viii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सुगम्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही एजेंसियों के लाइसेंस के नवीकरण पर विचार कर सकते हैं।

(ix) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक भवनों में सुगम्यता मानकों के अनुपालन की आवश्यकता के बारे में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है।

एजेंडा आइटम नंबर 4 - यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को सूचित किया गया कि अब तक देश के 716 जिलों में 75 लाख से अधिक यूडीआईडी कार्ड सृजित किए जा चुके हैं। बोर्ड ने राज्यों से निम्नानुसार आग्रह किया:-

(i) यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के लिए तत्काल उपाय करना ताकि अगस्त, 2022 तक संतृप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(ii) यूडीआईडी पोर्टल पर सभी लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए लक्ष्योन्मुखी कार्य योजना तैयार करना और फास्ट ट्रैक आधारों पर मौजूदा मैनुअल प्रमाणपत्रों के डिजिटलीकरण को पूरा करना। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यूडीआईडी कार्ड को लाभ वितरण प्रणाली से जोड़ सकते हैं।

(iii) डीईपीडब्ल्यूडी दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूआईडी कार्ड जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकता है।

एजेंडा आइटम सं. 5 - मॉडल DDRC सहित DDRS और DDRC से संबंधित मामले

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को अवगत कराया गया कि उपर्युक्त योजना में वित्तपोषण के तरीके को रीइंबर्समेंट मोड में बदल दिया गया है और लाभार्थियों के आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, बोर्ड ने नोट किया कि विभाग अब मॉडल डीडीआरसी शुरू करने की प्रक्रिया में है ताकि सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में ऐसे केंद्रों के निर्माण के लिए बढ़ावा तथा प्रोत्साहन दिया जा सके।

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश कि:-

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यथाशीघ्र सभी जिलों में डीडीआरसी स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं और 31-07-2022 तक डीडीआरसी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग के राष्ट्रीय संस्थान प्रस्ताव के विकास और प्रस्तुत करने के लिए टेली परामर्श के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र डीडीआरसी में समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) प्रशिक्षित दिव्यांग मित्रों की नियुक्ति कर सकते हैं।

(iii) प्रभावी कार्यकरण के लिए डीडीआरसी की समस्या का समाधान करने के लिए डीडीआरसी के जिला प्रबंधन दल को नियमित रूप से बैठक करने की आवश्यकता है।

(iv) डीईपीडब्ल्यूडी डीडीआरएस/डीडीआरसी के अंतर्गत वित्तीय सहायता मांगने वाली राज्य सरकार की संस्थाओं के प्रस्तावों के संबंध में विचार कर सकता है।

एजेंडा आइटम सं. 6 - दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की:-

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण भागीदारों के पैनल में शामिल किए जाने की प्रक्रिया में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) दिव्यांगजन द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए मंच उपलब्ध कराने पर बल दिया जाना चाहिए।

(iii) प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए फिक्की, सीआईआई आदि जैसे कारपोरेट घरानों के साथ सहयोग का पता लगाया जा सकता है।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएपी के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपने कौशल प्रशिक्षण संस्थानों सहित प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रस्तावों की सिफारिश करने की आवश्यकता है।

(v) ईटीपी के लिए यूडीआईडी पोर्टल पर प्रशिक्षुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करना अनिवार्य किया जा सकता है, यदि प्रशिक्षु के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है।

(vi) दिव्यांगजनों के लिए क्षेत्र कौशल परिषद के परामर्श से डीईपीडब्ल्यूडी दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए नए ट्रेडों का पता लगाएं ।

(vii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठायें ।

एजेंडा आइटम सं. 7 - विजन - 2047 और दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने नोट किया कि विभाग ने 9 जुलाई, 2022 तक आम जनता से दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। यह भी नोट किया गया है कि विभाग विजन 2047 विकसित कर रहा है।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने सदस्यों से आग्रह किया है कि वे 15 जुलाई, 2022 तक राष्ट्रीय नीति और विजन @2047 के मसौदे पर अपनी टिप्पणियाँ दें ।

एजेंडा आइटम सं. 8 – केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने नोट किया कि वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय 18-79 वर्ष के आयु वर्ग के गंभीर दिव्यांग व्यक्तियों को 300 रुपये प्रति माह की दर से दिव्यांगता पेंशन प्रदान कर रही है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी दिव्यांगता पेंशन के लिए अपने अंशदान दे रहे हैं, जो राज्य वार भिन्न-भिन्न होता है। बोर्ड ने आगे नोट किया कि 19.09.2019 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों

से दिव्यांगता पेंशन की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। कुछ नामित सदस्यों ने सुझाव दिया कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिव्यांगता पेंशन की मात्रा में एकरूपता होनी चाहिए और सभी बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जानी चाहिए।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड अपनी पूर्व की सिफारिशों को दोहराते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से दिव्यांगता पेंशन बढ़ाने और सभी बेंचमार्क दिव्यांगजनों को कवर करने का आग्रह किया ।

एजेंडा आइटम नंबर 9 – सीबीआईडी पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित 'दिव्यांग मित्रों' की नियुक्ति के अवसर

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को सूचित किया गया कि आरसीआई द्वारा मेलबोर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से छह महीने की अवधि का समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम (सीबीआईडी) विकसित किया गया है ताकि जमीनी स्तर के सामुदायिक कार्यकर्ताओं का एक पूल तैयार किया जा सके जो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ काम कर सकें। कार्यक्रम का पहला बैच पूरा हो चुका है और 400 से अधिक छात्रों ने इस पाठ्यक्रम को पूरा किया है। बोर्ड ने इन सीबीआईडी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जो सामुदायिक स्तर पर 'दिव्यांग मित्र' के रूप में काम कर सकते हैं।

कुछ सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष शिक्षक अपने शिक्षण कर्तव्य को करने के बजाय स्थानीय संसाधन समन्वयक के रूप में काम कर रहे हैं। सीबीआईडी कार्यकर्ताओं को संसाधन समन्वयकों का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है ताकि इन विशेष शिक्षकों को दिव्यांग छात्रों को शिक्षण और विशेष गतिविधि प्रशिक्षण की अपनी मुख्य गतिविधि करने में सक्षम बनाया जा सके। सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि ऐसे कामगारों को डीडीआरसी/डीडीआरएस के तहत नियोजित किया जा सकता है।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की है कि राज्य डीडीआरसी, पुनर्वास गृहों के साथ-साथ उनके द्वारा संचालित सामुदायिक पुनर्वास संगठनों में सीबीआईडी पासआउटों को नियुक्त कर सकते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत उनकी नियुक्ति का भी विचार किया जा सकता है।

एजेंडा मद संख्या 10 – सभापीठ की अनुमति से कोई अन्य मामला

(i) 2016 के डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 412 से उत्पन्न अवमानना याचिका संख्या 1653 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 01.09.2021 के आदेश के

कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दा – श्री गौरव कुमार बंसल बनाम श्री दिनेश कुमार और अन्य पुनर्वास गृहों के संबंध में।

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी कि वे हाफवे होम के घरों/पुनर्वास गृहों से संबंधित जानकारी, सेवा प्रदाताओं सहित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के निवासियों का टीकाकरण और याचिकाकर्ता के विभिन्न सुझावों पर की गई कार्रवाई आदि के बारे में सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में जल्द से जल्द दें ।

(ii) बोर्ड की बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे : -

- कई सहायक उपकरण जेम पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, इस प्रकार खरीद के लिए दर अनुबंध तैयार किए जाने चाहिए।
- जमीनी स्तर पर बहुत से जागरूकता सृजन कार्य किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयुक्त रूप से निधियां प्रदान की जा सकती हैं।
- बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों (बैकलॉग रिक्तियों सहित) के विरुद्ध भर्ती का उचित कार्यान्वयन और निगरानी।
- सुधार के लिए दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा सकती है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बड़े शहरों में कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रावास की स्थापना पर विचार किया जा सकता है।
- ब्रेल और साइन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि क्रमशः दृष्टि और श्रवण बाधित वाले व्यक्तियों की साक्षरता और संख्यात्मक क्षमता में सुधार किया जा सके। यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए की दृष्टिबाधित बच्चों को कम से कम कक्षा तक श्रव्य पुस्तकों के स्थान पर ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं ।
- एनएचएफडीसी को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीएफटी) के साथ गठजोड़ करने की सलाह दी जानी चाहिए ताकि दिव्यांग व्यक्ति मुद्रा ऋण के अनुरूप ऋण सुविधा का लाभ उठा सकें।
- सीएसआर निधि के 10-15% पर दिव्यांगता क्षेत्र के लिए आवंटन के लिए विचार किया जा सकता है।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने डीईपीडब्ल्यूडी को उपर्युक्त सुझावों की जांच करने और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार करने की सिफारिश की है।

9. अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।